न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 89/2018
निर्णय दिनांकः– 21.08.2020

1–रामस्वरुप पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
2– हरचन्द पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
–प्रार्थीगण

बनाम

1– छीतर पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
2– पीरुलाल पुत्र मांग्या जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
3–राजेश पुत्री मांग्या जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
4– सुखी पत्नि मांग्या जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
5– श्योकरण पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
6– श्रीकिशन पुत्र छग्गा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक
7– तहसीलदार, तहसील उनियारा जिला टोंक

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री एम0एल0खान वकील प्रार्थीगण
श्री प्रेमचन्द जैन वकील अप्रार्थीगण

संशोधित – निर्णय

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अपनी खातेदारी के खेत आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 0.87, 224 रकबा 0.59 व 229 रकबा 1.50 हैक्टर वाके ग्राम पलाई में आने जाने के रास्ते की मांग का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 221 वाके ग्राम पलाई में से रास्ता चाहा था। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 13.09.2020 को सुना दिया था।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 09.10.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी पी सी न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र के निर्णय में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम सहवन से घासी पुत्र छीतर दर्ज हो गया है जो जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 393 ग्राम पलाई के अनुसार छीतर पुत्र भूरा जाति बैरवा होना चाहिये था।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

अतः उक्त निर्णय को संशोधित किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 में घासी पुत्र छीतर के बजाय जमाबन्दीनुसार छीतर पुत्र भूरा जाति बैरवा किया जाये।

प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया जाकर पुनः छीतर पुत्र भूरा को जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस की तलबी होने के बाद भी अप्रार्थी छीतर पुत्र भूरा जाति बैरवा उपस्थित नही हुआ।

प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम पलाई के खसरा नम्बर 221 रकबा 1.92 हैक्टर जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 393 में दर्ज है। खाता संख्या 393 में 1. छीतर पुत्र भूरा हि.1/6 जाति बैरवा 2. पीरुलाल पुत्र मांग्या हि. 1/18 जाति बैरवा 3. राजेश पुत्री मांग्या हि.1/18 जाति बैरवा 4. श्योकरण पुत्र सुखदेवा हि.1/3 जाति बैरवा 5. श्रीकिशन पुत्र छंगा हि.1/3 जाति बैरवा 6. सुखी पत्नि स्व. मांग्या हि. 1/18 जाति बैरवा के नाम खातेदारी दर्ज है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का नाम घांसी पुत्र भूरा के बजाय छीतर पुत्र भूरा किया जाना न्यायोचित है क्योंकि घांसी पुत्र भूरा नाम से कोई भी खातेदार प्रभावित खसरे की जमाबन्दी में दर्ज नही होकर छीतर पुत्र भूरा नाम ही दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 89/2018 में दिनांक 13.09.2019 को पारित निर्णय में आश्यक संशोधन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम घासी पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा के स्थान पर छीतर पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व निर्णयानुसार निश्चित की गई राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जा चुका है तो पूर्व अप्रार्थी घासी पुत्र छीतर से राशि वसूल कर छीतर पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी पलाई को उसके हिस्सानुसार राशि का भुगतान करवाया जाये तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम में संशोधन कर निर्णय के शीर्षक में अप्रार्थी संख्या 1 पर अंकित घासी पुत्र छीतर के स्थान पर छीतर पुत्र भूरा किया जाये। न्यायालय निर्णय की पालना की जाये। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक